<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेड़ता (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी-अरूण कुमार बेरीवाल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
1-आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण सं 64/2026
CIS NO 64/2026
2-आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण सं 65/2026
CIS NO 65/2026

1-आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण सं 64/2026
CIS NO 64/2026

महेन्द्र पुत्र श्री हड़मान, आयु 27 वर्ष, निवासी धनेरिया, पुलिस थाना रास, जिला ब्यावर।

...प्रार्थी/अभियुक्त

<u>विरूद्ध</u>

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता

2-आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण सं 65/2026
CIS NO 65/2026

खलील पुत्र ईदू, आयु 27 वर्ष, निवासी आलनियाबास, पुलिस थाना थांवला जिला नागौर।

...प्रार्थी/अभियुक्त

<u>विरूद्ध</u>

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं., 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 32/2026 पुलिस थाना थांवला। अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए), 317(2) भारतीय न्याय संहिता।

उपस्थित-

1-श्री रामकुवांर कासनिया, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र की ओर से।
2- श्री इकबाल पठान, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त खलील की ओर से।
3-श्री अभिमन्यु शर्मा, लोक अभियोजक, राज. राज्य की ओर से।

::आदेश::

दिनांक 07.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण महेन्द्र व खलील की ओर से ये जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना थांवला में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/2026 में प्रस्तुत किये गये है। चूँकि ये दोनो जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है, अतः इनका निस्तारण एक साथ एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।

2. विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया, वह निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अत: प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 331(4), 305(ए), 317(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है, जिसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर परिवादी विक्रमनाथ के बाड़े में खड़े उसके ट्रेक्टर मय ट्रोली को चुराकर ले जाने का अभ्यारोप है। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो जैर ट्रायल है एवं प्रार्थी/अभियुक्त खलील के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा दो अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो जैर ट्रायल है, परन्तु उनकी दोषसिद्धी बाबत कोई तथ्य अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 26.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा चोरीसुदा ट्रेक्टर फरगुशन मैसी डीआई 241 मय ट्रोली भी बरामद किया जा चुका है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विवचारण में समय लगेगा। अत: इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Special Leave Petition (Cri.)No. 5191 of 2021 सत्येन्द्र कुमार अंटिल विरूद्ध सी बी आई में पारित न्यायिक निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियमित रूप से उपस्थिति के लिये 50,000–50,000/– रूपये के स्वयं के बंध पत्र एवं 25,000/–, 25,000/–रूपये की दो–दो जमानतें न्यायालय के समक्ष न्यायालय की संतुष्टि की पेश कर तस्दीक करवादें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
सत्र न्यायाधीश,
मेड़ता।

6. आदेश आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्र न्यायाधीश,
मेड़ता।